

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-662/2026

1 – अनिल यादव पुत्र पुजारी यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी कस्बा संग्रामपुर उनवल, थाना खजनी, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

मु०अ०सं०-158/2023

अंतर्गत धारा-323, 506, 325 आई०पी०सी०

व 3(1) द, ध SC/ST Act

थाना-खजनी, जनपद-गोरखपुर।

अन्तरिम जमानत आदेश

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ।

आवेदक/अभियुक्त **अनिल यादव** के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक उपस्थित। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा को नोटिस दिये जाने एवं जमानत प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रपत्रों की इस स्तर पर आवश्यकता है। अतः मूल जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के लिए समय प्रदान किया जाये। आवेदक/अभियुक्त की ओर से नियमित जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण तक अंतरिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में सुनवाई हेतु वादी की अनुपस्थिति तथा अभियोजन प्रपत्रों की अनुपलब्धता में अंतरिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। आवेदक/अभियुक्त **अनिल यादव** द्वारा मु०- 50,000/-रुपये का व्यक्तिगत बंध पत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे अंतरिम जमानत पर सत्यापन के अधीन रिहा किया जाये। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 24-02-2026 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करे। पत्रावली नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि को पेश हो।

धारा - 15(A)(5) Sc.St. Act. के अनुपालन में नियत तिथि के लिए वादी मुकदमा को कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किया जाये।

दिनांक 16-02-2026

(प्रवीण कुमार सिंह-द्वितीय)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर

I.D. No.-UP6051